न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:— 12/122/2021, रजि० न० 2021/228

अपीलार्थी:—

ओमप्रकाश कौशिक, बी—22, आनन्द विहार रेलवे कॉलोनी अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति० जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 24.08.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 24.08.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/1488 दिनांक 06.08.2021 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, की कार्यालय के पत्रांक लो.सू.अ./अन्तरण/2021/1138—42 दिनांक 17.06.2021 के माध्यक से उप पंजीयक बहरोड/नीमराना/किशनगढबास व तहसीलदार बहरोड़/नीमराना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित करते हुए प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है, साथ ही लिखा गया है कि उक्त कार्यालयों द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने पर उनके विभागीय ज्येष्ठ पंक्ति के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त की जा सकती है। कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य कार्यवाही/सूचना उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित नही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील न्यायालय में श्रवण योग्य नही है, अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 24.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर